

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/51 दिनांक 03-03-2025  
आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 (1) एफ डी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं 27.02.2022 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान-2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कार्गिक को उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें देय एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम मय पदस्थापन स्थान सुश्री/श्री/श्रीमती	प्रथम नियुक्ति तिथि	मैट्रिक्स लेवल देय दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि	स्वीकृत एसीपी	
				वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	अनिल कुमार, प्रयोगशाला सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुसाबर जिला भरतपुर	22.12.2015	22.12.2024	एल-05	एल-08

कर्मचारी का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ई-33/पैरामेडिकल/एफ.02/2025/51

दिनांक 03-03-2025

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें भरतपुर। | मु.मि. एवं स्वा. अ.पि. भरतपुर।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भुसाबर जिला भरतपुर।
- अनिल कुमार, प्रयोगशाला सहायकद्वारा उनके प्रशासनिक/नियंत्रक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि, उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराया जावे।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :03-03-2025 05:48:45